राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–चाणौद

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 1788/2015
तारीख दायरा 12.10.2015
तारीख आदेश 09.05.2016

वादी–
बाबूलाल पुत्र पूनमचंदजी
जाति सुथार निवासी चाणौद
तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगण–
1–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
2–भूरसिंह पुत्र किशनसिंहजी
3–स्व.जयसिंह पुत्र भूदरसिंहजी के का.मु.–
3/1–मथरावाई पत्नी जयसिंहजी
3/2–तेजसिंह पुत्र जयसिंहजी
3/3–रतनसिंह पुत्र जयसिंहजी
3/4–लालसिंह पुत्र जयसिंहजी
3/5–कन्यावाई पुत्री जयसिंहजी
3/6–लक्ष्मीबाई पुत्री जयसिंहजी
3/7–पेपीबाई पुत्री जयसिंहजी
3/8–धापुवाई पुत्री जयसिंहजी
3/9–मनाबाई पुत्री जयसिंहजी
जाति पुरोहित निवासी चाणौद
तहसील सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.Act,1955
एवं सपठित धारा 136 R.L.R.Act,1955

–: नि र्ण य :–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र चाणौद में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार मय अधिवक्ता उपस्थित। लोक अदालत की भावना से प्रतिवादी सं.02 भूरसिंह ने राजीनामा पेश कर वादी का वादपत्र स्वीकार व डिक्री किए जाने की पूर्ण सहमति व्यक्त की है, प्रस्तुत राजीनामा बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। पटवारी हल्का चाणौद, भू–अभिलेख निरीक्षक चाणौद व तहसीलदार सुमेरपुर ने वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। हमने, लोक अदालत की भावना के अनुरूप दोनों पक्षों को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की विवादित स्थिति अनुसार सरहद मौजा चाणौद–I तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान खसरा नं. 1694 रकवा 2.16 हेक्टर किस्म बारानी सोयम जिसके पुराने खसरा नं. 896/2185/3 रकवा 10 बीघा 8 बिस्वा के बारे में वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा तथा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार की कथित जांच रिपोर्ट अनुसार सरहद मौजा चाणौद–I तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 896/2185 जो सीलिंग अवाप्ति की है, में से 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादी को आवंटित हुई थी जिसके वर्तमान खसरा नं.1694 रकवा 2.16 हेक्टर बने है। उक्त आवंटन का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में जरिए नामान्तरकरण सं.45/05.05.1981 द्वारा किया गया था, परन्तु सेटलमेंट कार्यवाही के बाद नयेराजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि पुनः सीलिंग प्रभावित पूर्व खातेदार के नाम इन्द्राज हो गया। वर्तमान में भी मौके पर आवंटी अर्थात वादी का ही कब्जा काश्त है व उक्त आवंटन निरस्त के बारे में वर्तमान में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। कथित जांच रिपोर्ट से यह भी जाहिर है कि वादी को रकवा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी व सेटलमेंट विभाग ने उक्त आवंटित सुदा भूमि के नये खसरा नं. 1694 रकवा 2.16 हेक्टर बनाए है, परन्तु रकवा 10 बीघा 8 बिस्वा के हिसाब से वर्तमान रकवा 1.64 हेक्टर ही बनता है, शेष भूमि सिवायचक दर्ज किया जावे।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

(2) कि वाद पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य दस्तावेज, प्रतिवादी सं.02 भूरसिंह की ओर प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित कथनों एवं पटवारी हल्का चाणौद, भू–अभिलेख निरीक्षक चाणौद एवं तहसीलदार सुमेरपुर की तथाकथित जांच रिपोर्ट अनुसार वादपत्र में वादी द्वारा अभिव्यक्त किए गये कथनों की पुष्टि होती ही है, परन्तु हमारे विधिक विचारों में वादग्रस्त कृषि भूमि जो सीलिंग प्रभावित होते हुए प्रतिवादीगण के नाम त्रुटिवश खातेदारी दर्ज कर दी गई, में से वादी के नाम आवंटित सुदा रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा के हिसाब से रकबा 1.64 हेक्टर भूमि वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज किए जाने एवं शेष भूमि रकबा 0.52 हेक्टर राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किए जाने का आदेश पारित करना उचित समझते है।

(3) कि उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के आंशिक रूप से स्वीकार व डिक्री किया जाकर सरहद मौजा चाणौद–I तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान खसरा नं. 1694 रकबा 2.16 हेक्टर जो सीलिंग प्रभावित होते हुए प्रतिवादीगण के नाम त्रुटिवश खातेदारी दर्ज कर दी गई, में से रकबा 1.64 हेक्टर भूमि वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज किए जाने एवं शेष भूमि रकबा 0.52 हेक्टर राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार सुमेरपुर को यह भी आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त घोषित सुदा सिवायचक भूमि बाबत विधिवत् आवंटन कार्यवाही नहीं हो जाए, तब तक इस भूमि की सालाना काश्त हेतु नियमानुसार व्यवस्था करे। इसके अलावा तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का चाणौद उपरोक्त निर्णय व डिक्री मुजब पालना सुनिश्चित करे। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय बरोज आज दिनांक 09.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र चाणौद में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner